

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन
अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यक्रम पदाधिकारी,
सोनवर्षा, सहरसा।

/पटना, दिनांक :-15-06-2026

विषय:- सिंचाई प्रमंडल, त्रिवेणीगंज अन्तर्गत सोनवर्षा वितरणी के दायाँ बाँध पर वि०दू० 110.00 से 119.00 तक नहर के बाँध उच्चिकरण एवं सर्विस सड़क पर मिट्टी, सोलिंग एवं पी०सी०सी० ढलाई कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा का पत्रांक 491 दिनांक 17.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं अनुशंसा के आलोक में सिंचाई प्रमंडल, त्रिवेणीगंज अन्तर्गत सोनवर्षा वितरणी के दायाँ बाँध पर वि०दू० 110.00 से 119.00 तक नहर के बाँध उच्चिकरण एवं सर्विस सड़क पर मिट्टी, सोलिंग एवं पी०सी०सी० ढलाई कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नांकित शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है :-

1. नहर का रूपांकित सेक्शन अक्षुण्ण रखा जाय।
2. नहर सेवापथ का पक्कीकरण कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये क्रॉस सेक्शन के अनुरूप कराया जाय।
3. नहर के बाँध, चार्ट लैण्ड एवं बेड के तल में से किसी भी प्रकार की मिट्टी का उपयोग सेवापथ के निर्माण में नहीं किया जायेगा।
4. नहर बाँध के Inner Slope के दो फीट छोड़कर ईट सोलिंग कार्य कराया जाय।
5. नहर बाँध पर सोलिंग कार्य करने के लिए Outer Slope एवं बाँध पर मिट्टी भरकर कार्य कराया जाय।
6. नहर का Formation Level Maintain रखते हुए इसपर आवश्यक Drainage व्यवस्था के साथ सेवा पथ का पक्कीकरण कराया जाय।
7. सेवा-पथ के नहर भाग की तरफ Dowel को अक्षुण्ण रखते हुए सेवा-पथ में पक्कीकरण कार्य कराया जाय।
8. सेवा-पथ के निर्माणोपरान्त भी पूरे नहर भाग के जमीन का स्वामित्व जल संसाधन विभाग का रहेगा।
9. नहर के उक्त भाग में सड़क एवं नहर बाँध (Dowel सहित) का रख-रखाव कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकार को ही करना होगा।

10. नहर के मूल स्वरूप एवं निर्मित संरचनाओं में किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा छेड़-छाड़ नहीं किया जायेगा। कार्य के दौरान नहरों पर अविस्थित संरचना में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने की स्थिति में सारी जवाबदेही कार्य कराने वाले प्राधिकार की होगी।
11. नहर बाँध पर कार्य कराये जाने के कारण किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी मरम्मत/सुरक्षा पर होने वाले व्यय की जिम्मेवारी कार्यान्वयन करने वाले प्राधिकार की होगी।
12. कार्य के दौरान सेवा पथ पर आवागमन बंद नहीं किया जायेगा।
13. कार्य के दौरान नहर द्वारा किये जा रहे पटवन को किसी भी परिस्थिति में अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
14. निर्माण कार्य के समय नहर से संबंधित कार्यपालक अभियंता को भी निश्चित रूप से स-समय सूचना दी जायेगी ताकि नहर के रूपांकित सेक्शन आदि की जाँच आवश्यकतानुसार समय-समय पर उनके द्वारा की जा सके तथा उनके द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार ही कार्य कराया जायेगा।
15. कार्य समाप्ति के उपरान्त स्थल से अनावश्यक समाग्रियों, मलवा आदि को हटाने एवं साफ-सफाई की पूर्ण जिम्मेवारी कार्य कराने वाले विभाग की होगी।
16. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर कार्य को स्थगित कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक :- मो02 सहरसा-182/2022- 1207 /पटना, दिनांक : 15-06-2026

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, त्रिवेणीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

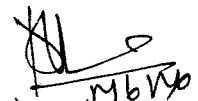


(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक :- मो02 सहरसा-182/2022- 1207 /पटना, दिनांक : 15-06-2026

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)